लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट(ए)/17/2018–19/131 भोपाल, दिनांकः–29/06/2018

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण संभाग म.प्र.।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   जिला म.प्र.।

विषयः– राज्य शासन के अधिकारीयों/कर्मचारियों द्वारा राज्य के अंदर/बाहर उपचार कराने पर निर्धारित पैकेज से अधिक व्यय का भुगतान।

———00———

उपरोक्त विषयक मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा राज्य शासन के अधिकारीयों/कर्मचारियों द्वारा राज्य के बाहर उपचार कराने पर निर्धारित पैकेज से अधिक व्यय का भुगतान कराये जाने के संबंध में नवीन निर्देश/प्रक्रिया आदेश क्र./एफ 4–23/2013/2/55 दिनांक 25.04.2018 निर्धारित की गई है। (प्रति संलग्न) नवीन प्रक्रिया अंतर्गत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किये जाये।

2. प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के प्रकरण बंटन हेतु संचालनालय को प्रेषित करते समय कर्मचारी के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है एवं एक ही कर्मचारी के प्रस्ताव अलग–अलग योजनाओं में तैयार कर भेजे जाते है जिससे की डबल भुगतान होने की संभावना होती है।

अतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति/अग्रिम के प्रस्ताव भेजने संबंधी निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है।

1. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का प्रस्ताव भेजते समय समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लें।
2. जिस अधिकारी/कर्मचारी का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है उसका वेतन आहरण किस योजना से किया जा रहा है, स्पष्ट करें साथ ही सत्यापित करें कि संबंधित का वेतन भुगतान उसी योजना से किया जा रहा है।
3. प्रस्ताव जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रशासकीय स्वीकृति जारी उपरान्त ही मान्य किया जावेगा।
4. प्रस्ताव भेजते समय यह सुनिश्चित कर लिया जावे की संबंधित के चिकित्सा प्रतिपूर्ति/अग्रिम हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये है। संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज जैसे :–
   - कार्योत्तर स्वीकृति।
   - प्रशासकीय स्वीकृति।
   - जिन कर्मचारी/अधिकारी का नियमित उपचार चल रहा हो तो मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी अनुमति/सहमति पत्र।

5. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करें कि भेजे गये देयक उसकी सेवा अवधि के हैं।
6. कार्यरत संस्था का स्पष्ट उल्लेख करें।
7. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के चिकित्सा देयक हेतु अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता होती है तो इस स्थिति में संबंधित के समस्त चिकित्सा देयक सहित प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रस्ताव भेजते समय एक साथ सभी कर्मचारियों के प्रस्ताव न भेजते हुए पृथक–पृथक प्रस्ताव बनाकर योजनावार भेजा जाना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त बिंदु के आधार पर पूर्ण परीक्षणोपरांत चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रस्ताव संचालनालय को भेजना सुनिश्चत करे।

संलग्नः– आदेश क्र./एफ 4–23/2013/2/55 दिनांक 25.04.2018

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ. क्रमांक/बजट(ए)/17/2018–19/132 भोपाल, दिनांकः–29/06/2018

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।

आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

कमांक एफ–4–23/2013/2/पचपन, **भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल, 2018**

प्रति,

1– **शासन के समस्त विभाग।**
2– **समस्त विभागाध्यक्ष,** मध्यप्रदेश।
3– **अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,** ग्वालियर।
4– **समस्त संभागीय आयुक्त,** मध्यप्रदेश।
5– **समस्त जिलाध्यक्ष,** मध्यप्रदेश।

विषय :– **राज्य शासन के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा राज्य के बाहर उपचार कराने पर निर्धारित पैकेज से अधिक व्यय का भुगतान।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राज्य के बाहर उपचार कराने पर विभाग द्वारा निर्धारित पैकेज से अधिक चिकित्सा अग्रिम/कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित करता है :–

स.क.	राज्य के बाहर उपचार की	वर्तमान अनुमति/स्वीकृति स्तर	नवीन अनुमति/स्वीकृति स्तर
1.	अनुमति हेतु	अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय	संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति :– (i) संभागीय आयुक्त या उनके प्रतिनिधि – अध्यक्ष (ii) अधिष्ठाता संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय– सदस्य (iii) अधीक्षक संबंधित चिकित्सालय– सदस्य (iv) संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा – सदस्य (v) अधिष्ठाता द्वारा नामित विशेषज्ञ जो प्राध्यापक स्तर से कम का न हो – सदस्य

2.	अग्रिम स्वीकृति हेतु	चिकित्सा शिक्षा विभाग	(i) राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में उपचार के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पैकेज राशि तक की स्वीकृति के लिए शासकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता। (ii) निर्धारित पैकेज से अधिक राशि के प्रकरणों में:— अ— निर्धारित पैकेज राशि तक की स्वीकृति के लिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता ; एवं ब— निर्धारित पैकेज के अतिरिक्त राशि की स्वीकृति के लिए संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के प्रशासकीय विभाग व्दारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर।
3.	कार्योत्तर स्वीकृति हेतु	चिकित्सा शिक्षा विभाग	चिकित्सा शिक्षा विभाग व्दारा निर्धारित पैकेज राशि तक की स्वीकृति के लिए संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर।

4.	निर्धारित पैकेज से अधिक व्यय की स्वीकृति हेतु	मंत्रि–परिषद से आदेश प्राप्त कर के चिकित्सा शिक्षा विभाग	संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के प्रशासकीय विभाग व्दारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नरेन्द्र सिंह परमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.कमांक एफ–4– 23/2013/2/पचपन **भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल, 2018**

प्रतिलिपि :–

1. **राज्यपाल के सचिव,** राजभवन, भोपाल।
2. **प्रमुख सचिव** मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
3. **प्रमुख सचिव,** मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
4. **महालेखाकार,** मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. **उप सचिव,** मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर उनकी टीप कमांक 552/14/एक(1), दिनांक 23.05.2014 द्वारा दी गई सहमति के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
6. **संचालक,** चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. **अधिष्ठाता,** चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
8. **संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,** चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/ जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
9. **प्राचार्य,** दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर।
10. **संभागीय संयुक्त संचालक,** कोष एवं लेखा, भोपाल/सागर/ग्वालियर/ जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, म.प्र.।
11. **संभागीय संयुक्त संचालक,** स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर/उज्जैन एवं रीवा, म.प्र.।
12. **संयुक्त संचालक,** जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

25.04.18
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग